न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर श्रृंखला रीवा
सम्भाग रीवा (म.प्र.)

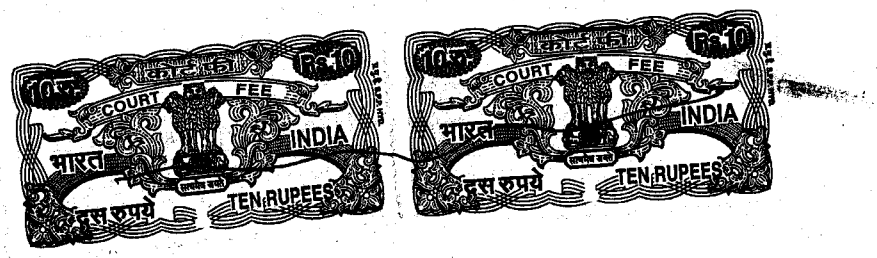

इन्द्रजीत पिता रामानुज ब्रा. निवासी ग्राम मिश्रगवां, तहसील चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.) ——— निगरानीकर्ता

R-2417-II/12

बनाम

बीरभान पटेल तनय रामदुलारे पटेल निवासी ग्राम मिश्रगवां, तहसील चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.) ———— गैर निगरानीकर्ता

पुनरीक्षण विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार तहसील चुरहट जिला सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 28/अ-12/2011x12 में पारित आदेश दिनांक 7.6.2012

अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

श्री अरविन्द पाण्डे अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत 10.7.12 को रीवां कोर्ट पर प्रस्तुत
10.7.12

मान्यवर,

पुनरीक्षण के सूक्ष्म तथ्य :-

27.7.12

तहसील चुरहट, जिला सीधी अन्तर्गत ग्राम मिश्रगवां, पटवारी हल्का कोष्टा कोठार की भूमि क्रमांक 433 रकवा 0.07 हे0 का भूमिस्वामी गैर निगरानीकर्ता राजस्व अभिलेख दर्ज है और निगरानीकर्ता उक्त भूमि का सरहद्दी कास्तकार है। गैर निगरानीकर्ता द्वारा इसी भूमि क्रमांक 433 रकवा 0.07 हे0 के सीमांकन बावत् वर्ष 2004 में उसका रिस्तेदार रंगनाथ पटेल द्वारा तहसील चुरहट में सीमांकन बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत कियाथा जिसे प्रकरण क्रमांक 24/अ 12/2012x2013 में पंजीकृत कियागया उक्त सीमाकन प्रक्रिया में तथ्य स्पष्ट हुआ कि उक्त आराजी नम्बर से सम्बन्धित नक्शा त्रुटिपूर्ण हुआ है इसलिए दिनांक 22.11.2004 को निरस्त कर दिया गया इस बीच गैर निगरानीकर्ता द्वारा उक्त त्रुटि पूर्ण नक्शे का सुधार बावत् कोई प्रकिया नही की गई और न ही उक्त आदेश के विरुद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई अपील या निगरानी ही

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2417-I/12 जिला सीधी

इन्द्रजीत/वीरभान पटेल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
29/9/15	1. प्रकरण आदेश हेतु लिया गया। 2. आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील चुरहट, जिला सीधी का प्रकरण क्रमांक 28/अ–12/11–12 आदेश दिनांक 07.06.12 (जिसे आगे अधी. न्याया. कहा जावेगा) के विरुद्ध संहिता की धारा 50 के तहत प्रस्तुत किया गया है। 3. प्रकरण में आवेदक की ओर से श्री शिव प्रसाद द्विवेदी, एडवोकेट तथा अनावेदक के अभिभाषक श्री यज्ञनारायण चतुर्वेदी एडवोकेट के तर्क समक्ष में दिनांक 16.09.15 को श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक द्वारा निगरानी का मुख्य आधार यह बताया गया है कि ग्राम मिश्रगवां, तहसील चुरहट की भूमि खसरा क्रमांक 433 रकवा 0.07 हे0 का अनावेदक भूमि सवामी है जिसका सीमांकन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.05.2008 को आवेदन पेश किया गया। सीमांकन किये जाने की सरहदी काश्तकार को सूचना नहीं दी गयी तथा त्रुटिपूर्ण नक्शे के आधार पर पूर्व में प्रस्तुत सीमांकन प्रक्रिया निरस्त कर दी गयी थी। इसके वावजूद त्रुटिपूर्ण नक्शे के आधार पर सीमांकन किया जाना बताकर प्रश्नाधीन आदेश द्वारा पुष्टि कर दी गयी। आवेदक की भूमि खसरा क्रमांक 428, 429 तथा 431 है जो सीमांकित भूमि खसरा क्रमांक 433 का सरहदी काश्तकार है। अतएव अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश निरस्त किया जाये। 4. अनावेदक अभिभाषक द्वारा उक्त तथ्यों का खण्डन किया गया तथा बताया कि अनावेदकगण अपनी भूमि स्वामित्व की भूमि का विधिवत सीमांकन कराया है। सरहदी काश्तकारों को सूचना दी गयी है। आवेदक का कथन निराधार है, जिसे निरस्त किया जावे।	

(34)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	5. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण के तर्को पर विचार तथा प्रकरण का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक सीमांकित भूमि का सरहदी काश्तकार है। संहिता की धारा 129 के उपबंधों के अनुसार सरहदी काश्तकारों को सीमांकन किये जाने की सूचना दिया जाना नहीं पाया जाता। अनावेदक द्वारा सीमांकन का आवेदन 24.05.08 को प्रस्तुत किया तथा सीमांकन की कार्यवाही 25.05.12 को की गयी तथा सीमांकन की पुष्टि 07.06.12 को की गयी है। इस प्रकार चार वर्ष विलम्ब से सीमांकन की पुष्टि की गयी, जो संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। उपरोक्त आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 07.06.12 नियम विरुद्ध होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि नियमानुसार सरहदी काश्तकारों को विधिवत सूचना देकर पुनः सीमांकन किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। 6. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे। 7. प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। **सदस्य**	